

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित व्याख्याताओं (स्कूल-शिक्षा) जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

| क्र. सं. | नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (सौभाग्य/राजमावि) | विषय | जन्मतिथि | अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि |
|----------|--|---------|------------|--|
| 01 | रणजीत सिंह, राजमावि थेबड़ी (डीडवाना) नागौर | इतिहास | 01-09-1957 | 31-08-2017 |
| 02 | नारायण सिंह भाटी, राजमावि, भोलासर (कोलयत) बीकानेर | इतिहास | 20-08-1957 | 31-08-2017 |
| 03 | मूलचन्द्र मंडा, राजमावि 51 एलएनपी (पदमपुर) श्रीगंगानगर | इतिहास | 25-09-1957 | 30-09-2017 |
| 04 | कलूआराम, राजमावि, पावटा, दौसा | इतिहास | 30.01.1958 | 31.01.2018 |
| 05 | देवेन्द्र कुमार, राजमावि, जालोर | वाणिज्य | 10.11.1957 | 30.11.2017 |
| 06 | परसराम फडोदा, राजमावि, नाडसर (भोपालगढ़) जोधपुर | इतिहास | 26.07.1957 | 31.07.2017 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिल्ल)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान बीकानेर

क्रमांक -- शिविरा-मा/संस्था/सी-2/से.नि./31853/2017-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संबंधित संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैय प्रमाण पत्र जारी करें ।
- (6) सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड हेतु
- (7) संबंधित प्राध्यापक
- (8) रक्षित पत्रावली ।

दिनांक:- 01/03/2017


संयुक्त निदेशक(कामिक)